ईमेलः–revenuedlr7@gmail.com

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–7) विभाग

क्रमांकः प.3(227)राज–7/2014 जयपुर, दिनांकः– 14-06-2018

–:परिपत्रः–

सामान्यतः यह देखने में आया है कि राज्य सरकार के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों यथा मा0 उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, अधिनस्थ न्यायालयो, अधिकरणों व राजस्व मण्डल में विचाराधीन न्यायिक प्रकरणों में पारित होने वाले निर्णय अत्यधिक विलम्ब से तथा कुछ मामलो में वर्ष से अधिक के विलम्ब से राज्य सरकार को अपील/नो अपील हेतु प्रेषित किये जाते हैं, जिसके कारण प्रकरण में अपील किये जाने के सुदृढ आधार होने के उपरान्त भी समयावधि के बिन्दु पर प्रकरण राज्य सरकार के विरूद्ध निर्णित हो जाते है। विदित रहे कि इस संबंध में पूर्व में भी कई बार आपको विभिन्न न्यायालयों मे विचाराधीन न्यायिक प्रकरणों में पारित होने वाले निर्णयों को संबंधित राजकीय अधिवक्ता एवं विभागाध्यक्ष की स्पष्ट राय के साथ समयावधि में भिजवाये जाने तथा विलम्ब से भिजवाये जाने के लिये दोषी अधिकारियो/कर्मचारियो के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी किये गये है, लेकिन अभी भी स्थिति में अधिक सुधार नहीं हुआ है। अतः भविष्य में ऐसे प्रकरणों को समय पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जावे। जिन प्रकरणो में निर्णय की प्रति विलम्ब से भिजवाई जा रही है, उनमें प्रभारी अधिकारी का नाम, पद एंव पदस्थापन स्थान का विवरण दिया जाना भी सुनिश्चित किया जावे तथा दोषी प्रभारी अधिकारी एवं अन्य दोषियो के विरूद्ध प्रकरण की महत्ता के अनुसार उत्तरदायित्व का निर्धारण कर सी0सी0ए नियम, 16/17 के अर्न्तगत कार्यवाही कर निर्णय पर अपना अभिमत सहित समयावधि में प्रस्ताव भिजवाने का श्रम करावें। विलम्ब से प्रेषित प्रकरणों में अनुशासनात्मक कार्यवाही के अभाव में अपील/नो अपील के निर्णय पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

प्रायः यह भी देखने में आया है कि कई अपील/नो अपील के प्रकरण राजस्व से सम्बन्धित नहीं होने के उपरान्त भी राजस्व विभाग को प्रेषित कर दिये जाते है। इस सम्बन्ध में भी यह सुनिश्चित किया जावे की राजस्व विभाग से सम्बन्धित अधिनियमो/नियमो/सेवा नियम आदि से सम्बन्धित प्रकरण ही राजस्व विभाग में प्रेषित किये जावें। सिलिंग से सम्बन्धित प्रकरणो मे समयावधि का विशेष ध्यान रखा जावे।

उपरोक्त वस्तुस्थिति को देखते हुए न्यायिक प्रकरणों में राज्य सरकार के विरूद्ध पारित होने वाले निर्णयो के सम्बन्ध में चैक लिस्ट संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। अतः राज्य सरकार द्वारा जारी संलग्न चैक लिस्ट में ही न्यायिक प्रकरणो में अपील/नो अपील के प्रस्ताव भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें अन्यथा चैक लिस्ट के अभाव में अपील/नो अपील के विनिश्चय में विलम्ब हेतु आप स्वंय उत्तरदायी होगें।

संलग्नः– चैक लिस्ट

(अभिताभ शर्मा) 14.6.18
शासन सचिव, राजस्व

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान
2. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान
3. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
4. आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर।
5. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त, खुदकाश्त एवं जागीर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।

शासन सचिव, राजस्व

Scanned by CamScanner

विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में अपील/नो अपील के निर्णय हेतु राजस्व विभाग को प्रेषित प्रकरणो की चैक लिस्ट

01.	प्रकरण का विवरण (i)प्रकरण संख्याः– (ii)पक्षकारों के नामः– (iii)न्यायालय का नामः– (iv)निर्णय दिनांकः– (v) प्रभारी अधिकारी का नाम एवं पदः–	
02.	प्रकरण के तथ्य (स्वपूरक टिप्पणी) (जरिये ई–मेल ऑफिस वर्ड फोरमेट मे भी प्रेषित की जावे):–	
03.	संबंधित नियम, अधिसूचना दिशा निर्देश एवं न्यायिक निर्णय :–	
04.	चाहा गया अनुतोषः–	
05.	न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का सारः–	
06.	राजकीय अधिवक्ता/अति0 महाधिवक्ता जिसने भी राजस्व विभाग और से पैरवी की है, उस अधिवक्ता की राय। राय उपलब्ध नहीं होने पर कारण अकिंत किया जावें।	
07.	विभागाध्यक्ष का पारित निर्णय पर स्पष्ट अभिमत :–	
08.	प्रभारी अधिकारी का पारित निर्णय पर स्पष्ट अभिमतः–	
09.	यदि न्यायिक प्रकरण अधिनस्थ न्यायालयो से निर्णित होकर अपीलीय न्यायालयों में आया है तो प्रथम न्यायालय में प्रस्तुत वाद व जवाब वाद की प्रति व तत्पश्चात् पारित पश्चातवर्ती न्यायालयो के निर्णयो की प्रति।	
10.	किसी अन्य समान प्रकरण से कवर्ड होकर निर्णित होने वाले प्रकरणो मे कवर्ड प्रकरण के तथ्यों का निर्णित प्रकरण के तथ्यों से मिलान कर यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रकरण के तथ्य समान है। यदि तथ्य समान नहीं है व न्यायालय द्वारा प्रकरण त्रुटि से कवर्ड किया गया हो तो यह तथ्य राजकीय अधिवक्ता/अति0 महाधिवक्ता के ध्यान मे लाय जाकर, अविलम्ब निर्णय को रिव्यू कराया जावे। प्रकरण कवर्ड प्रकरण के समान होने पर विभागाध्यक्ष अपने स्वयं के स्पष्ट अभिमत के साथ प्रस्ताव भिजवायें।	
11.	यदि प्रकरण में विलम्ब हुआ है तो दोषी अधिकारी का विवरण (नाम मय पद एवं पदस्थापन स्थान)	

हस्ताक्षर

(जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष)

Scanned by CamScanner